

FSSAI Import Clearance Guide

Logistics & Trade

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग - तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

खाद्य-आयात को एफएसएसएआई (FSSAI) से क्लियर कराना अनिवार्य है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल एफएसएसएआई आयात-क्लियरेंस में मार्गदर्शन देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

खाद्य-आयात को एफएसएसएआई से क्लियर कर बिक्री हेतु छुड़ाने के लिए उपयोग करें।

यह किसे दिया जाता है

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), आयात-क्लियरेंस प्रणाली (FICS) के माध्यम से।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

खेप-दस्तावेजों के साथ आयात-क्लियरेंस हेतु आवेदन करें; रिलीज़ से पहले नमूना/परीक्षण हो सकता है।

शुल्क और खर्च

एफएसएसएआई नियमानुसार क्लियरेंस और परीक्षण शुल्क।

इसकी जाँच किससे कराएँ

खाद्य-आयात सलाहकार/CHA — लेबलिंग और क्लियरेंस हेतु।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

लेबलिंग-नियम कड़े; गैर-अनुरूप खेप रुक सकती है।

साथ के दस्तावेज़

- India Import Compliance Checklist
- BIS Certification Guide
- Import Licence (DGFT) Guide
- CDSCO / Drug Import Guide
- IEC Registration Guide
- Restricted / Prohibited Goods Checker

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।

